सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या–1431के(2)/छः–सानिप्र–2008–200(15)/2000

81457

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह,
विशेषकार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट।
उत्तर प्रदेश।

साम्प्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ, गृह विभाग **लखनऊः दिनांक 14 अगस्त,2008**

विषयः– न्यायमूर्ति नानावटी जांच आयोग की संस्तुतियों के कम में वर्ष 1984 के दंगा पीडितों को राहत प्रदान करने के लिये स्वीकृत ''पुनर्वास पैकेज'' के तहत आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

न्यायमूर्ति नानावटी जांच आयोग की संस्तुतियों के कम में वर्ष 1984 के दंगा पीडितों को राहत प्रदान करने के लिये स्वीकृत ''पुनर्वास पैकेज'' के तहत लिये गये निर्णय के कम में कार्यवाही विषयक शासनादेश संख्या–1317के/छः–सानिप्र–2006–200(15)/2000, दिनांक 22.07.06 तथा शासनादेश संख्या–1372के/छः–सानिप्र–08–200(15)/2000 दिनांक–30.07.2008 में दिये गये दिशा निर्देशों में निहित व्यवस्था के अनुसार आर्थिक सहायता दिये जाने विषयक शासनादेश संख्या–1431के/छः–सानिप्र–08–200(15)/2000 दिनांक–11.08.2008 का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

2. अवगत कराना है कि है कि प्रश्नगत दिनांक–11.08.2008 के प्रस्तर–7 में दिये गये उदाहरण में कुल योग के कालम में त्रुटिवश रू0 4,49,000/– अंकित हो गया है जवकि कुल योग रू0 4,70,000/– होगा। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश को तद्नुसार संशांधित करते हुये निम्नवत पढ़ा जाय–

उदाहरण स्वरूप– वर्ष 1984 के दंगे से प्रभावित X द्वारा अपनी क्षति के संबंध में एक दावा प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया जाता है कि दंगे में उसके आवासीय मकान जिसमे उसकी दुकान भी स्थित थी, दंगाईयो द्वारा लूटपाट करने के पश्चात आग लगा दी गयी, जिससे दुकान के सामान के साथ ही आवासीय मकान की सम्पिति भी नष्ट हो गयी एवं जल जाने के कारण मकान भी नष्ट हो गया। जिला प्रशासन द्वारा उसी समय रू–2000/– की आर्थिक सहायता भी प्रदान

की गयी है। कृपया नानावटी आयोग की संस्तुति के कम सहायता प्रदान करने की कृपा करें।

तब दावा कर्ता X को दी जाने वाली सहायता निम्नवत निर्धारित की जायेगी :–

क	मदवार विवरण शासनादेश दिनांक 21.12.92 के अनुसार	शासनादेश दिनांक 21.12.92 तथा सपठित शासनादेश दिनांक–30.07.08 द्वारा अनुमन्य सहायता	नानावटी आयोग की संस्तुति के कम में देयता (पूर्व में राज्य सरकार द्वारा वास्तव में दी गई राशि का 10 गुना राशि अनुग्रह राशि के रूप में दी जाएगी, इसमें से पहले दी जा चुकी राशि कम कर दी जायेगी।)
1	(5)दंगें में चल सम्पत्ति की हानि की स्थिति में	रू0 5,000/–	रू0 50,000/–
2	(6)दंगें में मकान को हुई क्षति की स्थिति में	रू0 37,000/–	रू0 3,70,000/–
3	(7)दंगें में जीविकोपार्जन सम्बन्धी वस्तुओं (जैसे– गाड़ी, नाव या बैल आदि) की हानि की स्थिति में	रू0 5,000/–	रू0 50,000/–
	कुल योग		रू0 4,70,000/–

दावा कर्ता X को दी जाने वाली सहायता राशि = (देय धनराशि = कुल योग - पूर्व में दी गयी धनराशि)

यहाँ कुल योग है = 4,70,000.00

पूर्व में दी गयी धनराशि = 2000.00

अतः देय धनराशि 4,70,000.00- 2000.00 = 4,68,000.00

इस प्रकार दावा कर्ता X को रू 4,68,000/–की सहायता राशि दिये जाने की संस्तुति की जायेगी ।

14/8/08

(अशोक कुमार सिंह)
विशेषकार्याधिकारी

सख्याः–1431 के(3)/छः–सानिप्र–08–200(15)/2000 तद्दिनाक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रतिकर अधिकारी/आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. गाड फाइल।

आज्ञा से,

14/8/08

(अशोक कुमार सिंह)
विशेषकार्याधिकारी